

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा, पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत -न्याय आपके द्वारा कैम्प थूमबली
श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा नंबर 520 /2018

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
तहसीलदार, पचपदरा	1. दुदाराम पुत्र प्रतापराम मेगवाल, डामरराम, कोलाराम डायाराम, विशनाराम, करनाराम, आम्बाराम पुत्र पेमाराम वगै० जाति कलबी	

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम सपटित नियम 59,60,66,,86
भू-अभिलेख नियम 1970.

आदेश

दिनांक :- 25.06.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प थूमबली में पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपटित नियम 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया। हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत् 2073 दोराने गस्त गिरदावरी ग्राम कीटनोद में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकॉर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे में अंकन नहीं है। उनका अंकन किया जावे।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकॉर्ड में रास्ते में रास्ते/ सडक के रूप में अभिलिखित नहीं है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत में मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग में ले रहे हैं को राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज/ तरमीम के आदेश दे रखे हैं।

अतः मौजा कीटनोद के खसरा न0 949/449, 448, 995, 494, रकबा 1.02, 1.09, 4.07 बीघा में संलग्न परिशिष्ट 'अ' में चल रहे रास्ते/ डामर सडक का रास्ता को संबंधित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए परिशिष्ट 'ब' में वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण को दर्ज किया जाकर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किया गया। विप्रार्थीनी अनुपस्थित।

हल्का पटवारी/सरपंच ने भी मौके पर रास्ता चालू हालात में होने की ताईद की है तथा किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है। पटवारी हल्का द्वारा मौजा कीटनोद में संलग्न परिशिष्ट 'ब' में अंकित नक्शे में 'ए' से 'बी' बिन्दु तक खसरा न0 949/449, 448, 995/ 494, रकबा 1.02, 1.09, 4.07 बीघा रास्ता वर्तमान में चालू बताया है तथा इसे राजस्व रेकॉर्ड में सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं नक्शे में तरमीम करने की प्रार्थना की है। परन्तु पटवारी हल्का अनुसार मौके पर ग्रेवल



उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (राज.)

सडक चल रही है। अतः भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का आधार पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन अध्ययन किया।

बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र ख0न0 995/494 की किस्म गैरमुमकिन नाला है जो कि जलप्रवाह का साधन है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अतः तहसीलदार पचपदरा का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/ तरमीम नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप स्वीकार कर मौजा कौटनोद में अवस्थित खसरा 949/449, 448 रकबा क्रमशः 1.02, 1.09, बीघा के बिन्दु 'ए' से 'बी' में वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है, व प्रार्थना पत्र दर्शित बिन्दु बी से सी में प्रस्तावित रास्ते को निरस्त किया जाता है। उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत खातेदार के खाते में ही दर्ज रहेगा। संलग्न नक्शा बिन्दु 'ए' से 'सी' का रास्ता निर्णय का भाग रहेगा।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो।

आदेश दिनांक 25.06.2018 को सुनाया गया।



(भागीरथ राम)
भू-अभिलेख अधिकारी,
पचपदरा (संलग्न आ) विभागाधीकारी
बालोतरा (राज.)